न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– रिया केजरीवाल ,आई.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र प्रकरण सं0 – 55/2010

मूलसिंह पुत्र लिछमण सिह राजपूत निवासी डांडूसर तहसील व जिला बीकानेर जरिये मुखत्यारआम मोहनराम पुत्र बख्ताराम जाट निवासी डांडूसर तहसील व जिला बीकानेर

.....प्रार्थी.....

–:बनाम:–

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बीकानेर

.....अप्रार्थी.....

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 .आर.टी.एक्ट

उपस्थिति अभिभाशक:–

1. श्री विजयकुमार भादाणी , प्रार्थी।
2. पेरोकारराज, राज्य की ओर से।

–:निर्णय:–

दिनांक–17/12/2019

यह प्रार्थना पत्र श्री मूलसिंह पुत्र लिछमणसिंह प्रार्थी द्वारा जरिये वकील श्री विजयकुमार भादाणी अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट के तहत दिनांक 9.4.10 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम डाडूंसर उप–निवेशन विभाग के तहत आया उस समय प्रार्थी को ग्राम डांडूसर की रोही में खसरा नम्बर 290/51 की तादादी 23 बीघा कृषि भूमि का अस्थाई तौर पर आवंटन किया गया था जिसका नवीनीकरण भी समय–समय पर होता रहा। परन्तु बाद मे यह क्षेत्र उप–निवेशन विभाग से निकल कर भू–प्रबंध विभाग में तथा राजस्थान (राजस्व) विभाग के अंतर्गत आ गया। इस कारण अस्थाई आंवटन के नवीनीकरण की कार्यवाही हो सकी। परन्तु इस भूमि पर प्रार्थी आज भी काबिज चला आ रहा है। अस्थाई आंवटन के समय प्रार्थी को आंवटन शुदा कृषि भूमि पर तत्कालीन अमलाराज द्वारा कब्जा दिया गया था, तब से उक्त खसरा नम्बर की समस्त भूमि पर काबिज चला आ रहा है और काश्त करता आ रहा है। प्रार्थी के कब्जे काश्त की इंद्राज गिरदावरी में की जाती रही है। आंवटन दिनांक से लेकर आज तक प्रार्थी 10 वर्ष से अधिक समय तक वैध रूप से काबिज रहने रहा है। जिसके आधार पर प्रार्थी कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार हो चुका है और इस कदर राजस्व रिकार्ड में इंद्राज कायम करने का दायित्व अप्रार्थी संख्या 1 का रहा है। परन्तु दर्ज नही किया गया है। उपनिवेशन विभाग द्वारा अस्थाई पट्टा धारकों को राज्य सरकार के आदेश क्रमांक 3/29/उप.–86 दिनांक 04.14.89 व दिनांक 04.7.1991 के द्वारा ऐसे अस्थायी आंवटियों को खातेदारी देने

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

के निर्देश दिये गये है। 10 वर्ष से अधिक वैध रूप से काबिल चले आने के कारण प्रार्थी खातेदार काश्तकार हो चुका है। इस कारण अप्रार्थीगण के खिलाफ चिर निषेधाज्ञा लाने का भी अधिकारी है। दौराने वाद प्रार्थी को उपरोक्त भूमि से बेदखल कर दिया गया या नये इन्द्राज कर दिये गये तो प्रार्थी को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके अर्ज है कि ताफैसला वाद प्रार्थी को बेदखल नहीं किये जाने की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान की जावे तथा रिकार्ड व मौके की यथास्थिति रखे जाने के आदेश प्रदान करे। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस तामिली से प्राप्त होने पर दिनांक 29.6.11 को प्रकरण वास्ते जवाब हेतु नियत किया गया तथा दिनांक 08.08.2011 को अप्रार्थी संख्या 1 स्टेट की ओर से जवाब प्राप्त होने पर प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया। उक्त प्रकरण में बहस हेतु काफी अवसर पूर्व में दिये जा चुके थे। जिस पर दिनांक 05.3.12 को प्रकरण प्रार्थीगण अनुपस्थित आने पर प्रकरण अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज किया गया। दिनांक 3.4.12 को प्रार्थी द्वारा रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर सुनवाई की जाकर रेस्टोर किया गया और पत्रावली वास्ते बहस नियत की गयी।

दिनांक 28.11.19 को विद्वान अभिभाषगण की बहस सुनी गयी। प्रार्थी के वकील श्री विजयकुमार भादाणी द्वारा प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि पूर्व मे प्रार्थी को आवंटन हुई थी। तब से आज तक प्रार्थी के कब्जाकाश्त में है। राज पैरोकारराज ने प्रतिउत्तर में कथन किया की इस प्रकार के स्थगन राज्य सरकार की भूमि पर नही दिया जा सकता। इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने बहस एवं पत्रावली मे उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन एवं मनन किया। उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्य के मध्य नजर प्रार्थी शासकीय भूमि पर किसी भी प्रकार के अधिकार तब तक नहीं रखता। जब तक सक्षम न्यायालय आदेश से उसे भूमि का मालिक घोषित नही किया जाता। इस प्रकार इन परिस्थितियों मे राज्य सरकार के विरूद्व किसी भी प्रकार स्थगन दिया जाना न्यायोचित नही है। लिहाजा प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली मूल वाद के संलग्न की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17-12-19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रिया केजरीवाल) आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी बीकानेर
बीकानेर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Riya Kejriwal
Date: 2020.01.28 12:41:51 IST
Reason: SelfAttested
Location: